30/10/17 वकील वादी उपस्थित। गोशवारा सं. 2,3,5 पैरा 6 वादी तथा वकील उपस्थित नहीं आये। गोशवारा सं. 2,3,5 पैरा 6 के पत्र मसील कार्यालय की जाती है। गोशवारा सं. 4,7 पैरा 8 की वादी तथा वकील नहीं है। अतः पुनः अवकाशपत्र देकर पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। 7/12/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

7/12/17 वकील पक्षकार उपस्थित। वकील वादी प्रार्थना को बहस नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना को Note Press किया है। अतः प्रार्थना Note-Press के आदेश किया जाता है। पत्रावली पैरा 6 में मुआ। लेखा शाखा से कार्य हो। आदेश अलग से दर्ज किया जावे।

NOTPRESS

उपखण्ड अधिकारी
करौली